संख्याः 02/2017/19/35-1-2017-6/8(7)/2015

प्रेषक,

राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मूल्यांकन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,उ0प्र0,
कालाकांकर भवन, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 ***लखनऊः दिनांकः 30 जनवरी, 2017***

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1479/I-828/मू0प्र0, दिनांक 05 जनवरी, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था'' हेतु राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रूपये 48,67,000/- (रूपये अड़तालिस लाख सरसठ हजार मात्र) को आपके निर्वतन पर अधोलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के साथ रखे जाने की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग के निर्वतन पर रखी जायेगी।

(2) नियोजन विभाग में वित्त नियंत्रक वर्तमान में तैनात है। अतः वित्त नियंत्रक की भी सहमति आवश्यक होगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) जहॉ आवश्यक हो, वहॉ शासन/सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(6) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून, 2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-"3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर- 092-अन्य कार्यालय-07-राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राकेश कुमार
सचिव।

संख्याः 02/2017/19(1)/35-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

देशराज सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in